**आंतरिक/ समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हेतु रूचि की अभिव्यक्तित**

**1. भूमिका:**

1.1 राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली जिसका मुख्य कार्यालय/शाखा कार्यालय (भागीदार के साथ) दिल्ली/ मुंबई में है, वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु बैंक के आंतरिक/ समवर्ती लेखा परीक्षकों के तौर पर नियुक्ति के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रजीकृत प्रसिद्ध लेखा परीक्षा फर्मों/ कंपनी से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।

1.2 रूचि की अभिव्यक्ति प्रोफाइल, पूर्व के अनुभवों और वार्षिक प्रत्याशित पारिश्रमिक सहित उप महा प्रबंधक, संपूर्ण लेखा परीक्षा विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, नई दिल्ली - 110003 के पास मांगपत्र की दिनांक से 15 दिनों के भीतर, मुहरबंद लिफाफे पर ''वित्तीय वर्ष 2012-13 (01 जुलाई - 30 जून)हेतु रा.आ.बैंक के आंतरिक/सहायक लेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्ति हेतु रूचि की अभिव्यक्ति'' शीर्षांकित करके भेजी जाए। फर्म/कंपनी के पास बैंकों/ विकास वित्तीय संस्थानों की आंतरिक/सहयोगी लेखा परीक्षा करने का पर्याप्त अनुभव अधिमानत: होना चाहिए।

**2. पृष्ठभूमि**

2.1 आवास क्षेत्र में एक शीर्ष वित्तीय संस्थान के तौर पर कार्य करने के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) की स्थापना जुलाई, 1988 में भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण सवामित्व में राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (रा.आ.बैंक अधिनियम) के तहत की गई थी।

2.2 राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली और एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। मुख्य कार्यालय में किये जाने वाले कार्यों में सभी नीति संबंधी मामले,संवर्धनात्कम और विकासात्मक क्रियाकलाप, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का विनियमन एवं पर्यवेक्षण, सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये नोडल एजेंसी होने के साथ ही पुनर्वित्त और परियोजना वित्त परिचालन सम्मिलित हैं। राजकोष के कार्य मुख्य कार्यालय में किये जाते हैं। रा.आ.बैंक के कार्यकलाप राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत नियंत्रित किये जाते हैं। लेखाओं का रखरखाव और लेखाओं के वार्षिक विवरण की तैयारी राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य विनियमावली, 1988 से नियंत्रित होते हैं।

2.3 मुख्य कार्यालय में वित्तीय कार्यों में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को पुनर्वित्त की संस्वीकृति और संवितरण, सार्वजनिक एजेंसियों हेतु परियोजना वित्त, संयुक्त उद्यम और सार्वजनिक-निजी साझेदारी, तथा एनजीओ/एमएफआई, और राजस्व (मुख्यत: प्रशासनिक उपरिव्यय) की संसवीकृति तथा भुगतान और स्टाफ ऋणों के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सम्मिलित हैं। मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ऋण खातों के परिनिर्धारण और संवितरण का कार्य करता है तथा संसाधनों को बढ़ाने के संबंध में वित्तीय लेनदेनों और ऋण सेवाओं, निवेशों, और राजस्व (मुख्यत: प्रशासनिक उपरिव्यय) की संसवीकृति तथा भुगतान तथा पूंजीगत व्यय का कार्य करता है।

2.4 बैंक अपने मुख्य कार्यालय - दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय - मुंबई के मध्य कारोबार परिचालनों हेतु सैप(एसएपी)/ईआरपी सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है।

**3. न्युनतम पात्रता मानदंड:**

| क्र. सं. | अपेक्षा | फर्म/कंपनी |
|---|---|---|
| 1. | अनुभव के वर्षों की सं. | 15 वर्ष |
| 2. | पूर्ण कालिक भागीदारों की सं. | 3 |
| 3. | वित्तीय वर्ष 2010-11 अथवा पूर्व के अन्य किसी वित्तीय वर्ष में न्युनतम वार्षिक कुल बिक्री | रु. 50 लाख |
| 4. | वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों की लेखा परीक्षा में न्युनतम अनुभव | 5 वर्ष |

उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं:-

i) क्रमांक 1 एवं 2 के संबंध में, यथा 01 जनवरी, 2012 को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

ii) क्रमांक 3 के संबंध में, लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र, जिसमें कुल बिक्री उल्लिखित हो, की प्रति के साथ फर्म/कंपनी के दो भागीदारों से स्वप्रमाणपत्र संलग्न किये जाएं।

iii) क्रमांक 4 के संबंध में, फर्म/ कंपनी के दो भागीदारों द्वारा स्वप्रमाणपत्र के साथ निम्नलिखित प्रारूप में लेखा परीक्षित बैंकों/ वित्तीय संस्थानों की सूची:

| क्र.सं. | बैंकों/एफआई का नाम | लेखा परीक्षा की प्रकृति | लेखा परीक्षा की अवधि | लेखा परीक्षित बैंक/एफआई का आस्ति आकार |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Iv) संयुक्त उद्यम/ सीए फर्मों/ कंपनियों के संघ स्वीकार्य नहीं होंगे।

**4. कार्यक्षेत्र और उद्देश्य:**

4.1 सतत आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:

क. लेखाओं की जांच(संसाधनों और निवेशों सहित), व्यय लेखा परीक्षा, वसूली योग्य/ देय, स्थिर आस्तियां, उचंत और विविध खातों की संवीक्षा और अन्य संबंधित रिकार्ड तथा आस्तियों एवं देयताओं का सत्यापन ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कारोबारी लेनदन शीघ्रता व ठीक प्रकार से दर्ज किये जा रहे हैं और उनका समाधान हो रहा है। कथित उद्देश्य के लिये, बहियों में लेखांकित लेनदेन की संवीक्षा प्रारंभ के दस्तावेजों के संदर्भ से की जानी चाहिए और जहां अपेक्षित हो सांखिकीय तुलना की जाए। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि-

(i) जोखिम प्रबंधन के साथ प्रबंधन द्वारा निर्धारित नीतियां और प्रक्रियाएं और उनकी अनुपस्थिति में, मुख्य कार्यालय और मुंबई कार्यालय द्वारा स्थापित नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है।

(ii) सांविधिक अपेक्षाएं अर्थात्, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987, रा.आ.बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2001, आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निदेशन, 2010, रा.आ.बैंक सामान्य

विनियमावली, 1988, अन्य संविधियों के प्रावधान, भा.रि.बैंक निदेश और दिशा-निर्देश आदि संगृहीत हैं।

(iii) वित्तीय उपयुक्तता विशेषकर रा.आ.बैंक के निदेशन, दिशा-निर्देश, नियम, विनियम, परिपत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर वित्तीय स्थिति/ बियरिंग के संबंध में जारी किये गये आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(iv) यहां से दिये जाने वाले आंकड़े और लेखा विश्वसनीय और सही हैं।

ख. आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली की जांच जिसमें सिद्धांत में विश्वसनीयता और परिचालन में प्रभावकारिता दोनों के लिये दिल्ली कार्यालय और मुंबई कार्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली आंतरिक जांच और संशोधन/ अतिरिक्त सुरक्षा हेतु सिफारिश सम्मिलित है जो उक्त को सुदृढ़ बनाने के लिये अपेक्षित हों। यथोचित और प्रबंधन द्वारा समय समय पर समीक्षित आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली दिशा-निर्देशक के तौर पर कार्य कर सके। उद्देश्यों में से एक धोखाधड़ी, गबन और अन्य हानियों के विरुद्ध निवारक सुरक्षा का निर्माण करना होगा।

ग. संशोधन हेतु टिप्पणियां और सुझावी कार्रवाई

(i) पुनर्वित्त योजनाओं, विभिन्न प्राथमिक ऋणदाताओं हेतु अतिदेय मानदंड, निवेश मानदंड, प्रलेखन, दावा प्रक्रिया, पुनर्वित्त का मोचन, लेखांकन आदि, दस्तावेजों का रखरखाव और सुरक्षा की मूल विशेषताओं से जुड़े हुए जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं की तथ्यपरक समीक्षा के बाद टिप्पणियां प्रस्तुत करना।

(ii) इस पर टिप्पणियां कि क्या संवितरण संस्वीकृतियों के अनुरूप हुए हैं, क्या संस्वीकृतियां बैंक की अनुमोदननीति के अनुरूप हैं। विवेकपूर्ण मानदंड अर्थात् आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं अन्य विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन हो।

(iii) आस्ति देयता की विसंगतियां, यदि कोई हैं, के प्रबंधन की पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की लेखा परीक्षा और परिचालनों के विभिन्न क्षेत्रों में भा.रि.बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित नियंत्रण प्रक्रियाओं पर टिप्पणी।

(iv) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के तहत विभिन्न विवरणियों की उपयुक्तता और प्रस्तुतीकरण पर टिप्पणी;

(v) धोखाधड़ियों/गबनों के विरूद्ध निवारक रक्षोपाय, विवेकशील व्यवहारों और आंकड़ों के विश्वसनीय/ सही प्रवाह पर टिप्पणी;

(vi) परियोजना ऋणों के संबंध में टिप्पणियां;

(vii) पूर्व की रिपोर्टों में अवलोकित विसंगतियों के संशांधन/ अनुपालन के बारे में टिप्पणियां;

(viii) (बैंक द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रारों) जारी किये गये बांडों /सावधि जमा रसीद (एफडीआर) की लेखा परीक्षा

(ix) बैंक की अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) नीति का अनुपालन; और

(x) बैंक के जोखिम पर आधारित क्रियाकलापों जैसे एएलसीओ के कार्यों की समीक्षा, ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण, संरचनात्मक चलनिधि अनुपात, आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पोर्टफोलियो बायआउट्स, डीआरएस के कार्य, परियोजना वित्त संस्थानों की रेटिंग आदि की गहन लेखा परीक्षा।

घ. राजकोषीय परिचालनों की समवर्ती लेखा परीक्षा (निवेश कारोबार तथा आईआरएस लेनदेनों की जांच और उनके लेखांकन जैसे कि आय और हानि दर्ज करने सहित) और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन जिसमें विभिन्न बाजार जोखिमों जैसे वीएआर सीमा, ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणियों, चल निधि जोखिमों, एल्को सिफारिशों का क्रियान्वयन आदि की पहचान, परिमाप, जांच एवं निरीक्षण हेतु प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

च. आवास वित्त कंपनियों के लिये निदेशनों के अनुपालन पर टिप्पणी जिसमें विशेष रूप से सांविधिक विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने, विवरणियों की जांच, निरीक्षण रिपोर्टों को प्रस्तुत करने और अनुवर्ती कार्रवाई व अन्य संबंघित मदें जो बैंक के विनियमन एवं पर्यवेक्षण भूमिका को सशक्त करने के लिये हों, भारत में एक मजबूत, शक्तिशाली आवास वित्त प्रणाली बनाने के लिये हों, उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

छ. रिपोर्ट

(i) राजकोषीय परिचालनों और लेखा विभाग की समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट दो भागों में मासिक आधार पर अर्थात् वर्तमान और निरंतर पूर्व के माह की समापन विवरणी के साथ अगले माह की 10 तारीख तक अध्यक्ष को प्रस्तुत करें। भाग को आगे दो भागों जैसे मूल और अन्य में बांटा जाए।

(ii) मुख्य कार्यालय और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट तिमाही आधार पर दो भागों अर्थात् वर्तमान और निरंतर पूर्व के माह की समापन विवरणी के साथ तिमाही के बाद के माह के 30 दिन तक में प्रस्तुत की जानी चाहिये। रिपोर्टें अध्यक्ष को प्रस्तुत करनी होंगी। भाग को आगे दो भागों जैसे मूल और अन्य में बांटा जाए।

(iii) यह उल्लिखित किया जाए कि आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उल्लिखित टिप्पणियों की ओर शीर्ष प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया जाए। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) द्वारा यथा अनुमोदित बैंक की निवेश पॉलिसी के एक भाग के तौर पर, बैंक के राजकोष परिचालनों से संबंधित ऐसी रिपोर्टों से संगत उद्धरण भारतीय रिज़र्व बैंक को नियमित आधार पर प्रस्तुत किये जाएं। रिपोर्टों में उल्लिखित टिप्पणियोंका सारांश तथा उस पर प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणी बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष समय-समय पर प्रस्तुत की जाती हैं। अतएव, यह आशा की जाती है कि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, जांच के दौरान पायी गई अनियमितताएं लेखा परीक्षा के साथ ठीक कर दी जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि पिछली रिपोर्ट/ रिपोर्टों के बारे में अनुपालन/ संशोधन अनुवर्ती रिपोर्ट में दर्शाया जाए।

**5. कार्य का अतिरिक्त क्षेत्र एवं उद्देश्य**

**क. ऋण लेखा परीक्षा**

ऋण लेखा परीक्षा के समय मौजूदा संस्वीकृति एवं पश्च-संस्वीकृति प्रक्रिया/ बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियाओं की जांच की जाती है।

(i) ऋण लेखा परीक्षा के उद्देश्य

1. ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार
2. समीक्षा संस्वीकृति प्रक्रिया और पश्च-संस्वीकृति प्रक्रिया की स्थिति/ सभी मौजूदा लेखाओं की 500 करोड़ रु. के समकक्ष या अधिक निवेश सीमा की प्रक्रिया, पुनर्वित्त के मामले में तथा प्रत्यक्ष वित्त के मामले में 3 करोड़ रु. और उनकी निष्पादकता की निगरानी।
   - विनियामक अनुपालन के बारे में फीडबैक
3. बैंक की केवाईसी नीति का अनुपालन
4. ऋण गुणवत्ता और ऋण प्रशासन को उन्नत करने के लिये संस्तुत सुधारात्मक कार्य

(ii) क्षेत्र और कवरेज

ऋण लेखा परीक्षा का क्षेत्र लेखा से विस्तृत करके समग्र पोर्टफोलियो और अनुपालन की जा रही ऋण प्रक्रिया तक करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

(क) पोर्टफोलियो समीक्षा : ऋण एवं निवेश की गुणवत्ता की जांच

ऋण समीक्षा: संस्वीकृति प्रक्रिया और पश्च संस्वीकृति प्रक्रिया/ प्रक्रियाओं (जो केवल बड़े खातों तक सीमित नहीं हैं) की समीक्षा करना ।

- सभी नए प्रस्ताव और सीमाओं के नवीकरण के लिये प्रस्ताव (संस्वीकृति से 3-6 माह के अंदर)
- शेष पोर्टफोलियो से औचक चयनित (लगभग 10 %) प्रस्ताव

(ख) समीक्षा के लिये कार्रवाई बिंदु

- संस्वीकृति के संबंध में बैंक की निर्दिष्ट नीतियों का अनुपालन और विनियामक अनुपालन का सत्यापन
- प्रलेखन की पर्याप्तता की जांच जिसमें लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान किये सुरक्षा प्रपत्रों और रजिस्टर का सत्यापन शामिल हो।
- खातों के परिचालन व अनुवर्ती कार्य की जांच जिसमें संवितरण नोटों, प्रणाली प्रविष्टियां, पावतियां, भुगतान, समाधान और प्रावधानीकरण शामिल हो।
- निरीक्षण और अनुपालन की स्थिति का सत्यापन
- तुरंत चेतावनी वाले संकेतों का पता लगाना व उनके सुधार के लिये उपायों का सुझाव देने के साथ ही वसूली और अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया का सत्यापन।
- गंभीर अनियमितताओं के बारे में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की जांच ।

(iii) समीक्षा की आवृत्ति

1. समीक्षा की आवृत्ति जोखिम के प्रभाव के अनुसार भिन्न -भिन्न होनी चाहिये(यथा, भारी जोखिम वाले खातों के लिये 3 माह से अधिक जिनमें पुनर्वित्त/ प्रत्यक्ष वित्त के रूप में 500 करोड़ रु. और अधिक का निवेश होता हो, औसत जोखिम खातों के लिये 6 माह, कम जोखिम खातों के लिये 1 वर्ष)।
2. सामान्य विनियामक अनुपालन के बारे में फीडबैक
3. प्रक्रियाओं और कार्यों की पर्याप्तता की जांच
4. ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा
5. रिपोर्टिंग पद्धति और उसमें अपवादों की जांच
6. ऋण प्रशासन के लिये सुधारात्मक उपायों की सिफारशि करना
7. एमआईएस की पर्याप्तता व उसके अनुपालन की जांच

**ख. राजस्व/ आय क्षरण**

राजस्व क्षरण के अनेक कारण हो सकते हैं। अन्य बातों के साथ - साथ राजस्व क्षरण की संभावना विभिन्न प्रकार के लेनदेनों से रहती है जिसमें ग्राहकों की भारी राशि और वित्तीय सूचना जिसे लगातार अद्यतन करने की जरूरत होती है, में हो जाती है। यह परिसंपत्तियों और देयताओं दोनों से संबंधित हो सकती है। परिचालनात्मक क्षेत्र जिनमें राजस्व/ आय क्षरण की संभावना रहती है, की संवीक्षा आवश्यक होती है और ऐसे क्षरणों को रोकने के लिये सुधारात्मक सुझाव देना भी वांछनीय हो जाता है।

**ग. शिकायतों की लेखा परीक्षा**

यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि विभिन्न परिचालनों से उत्पन्न हुआ है चाहे वे रा.आ.बैंक/ एचएफसी में जमाकर्ता हों अथवा एचएफसी द्वारा दिये गये आवास ऋण हों। यह प्रमुख रूप से ग्राहक सेवा अथवा की तुलना में ग्राहक संतुष्टि से संबंधित है। ऐसी लेखा-परीक्षा अर्थात् प्राप्त/ निपटाई गई/विलंबित आदि शिकायतों की संख्या आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत रा.आ.बैंक से प्रतिक्रिया की गुणवत्ता आंकने के लिये तिमाही आधार पर लेखा परीक्षित की जा सकती है।

**घ. अन्य**

i) बैंक में प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित शक्तियों के प्रत्यायोजन का अनुसरण ।

ii) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा जब कभी भी अपेक्षित हो, सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकारी द्वारा एक एजेंट के तौर पर कार्य करते हुए किसी भी कार्य का निष्पादन।

iv) सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ प्रबंधन द्वारा सुझाये/ सूचित किये गये नये क्रियाकलाप शामिल किये जाएंगे जो इस सीमा के अधीन होंगे कि वित्तीय वर्ष हेतु आंतरिक/ समवर्ती लेखा परीक्षा हेतु अपेक्षित कुल श्रम दिवस के 5 % से अधिक कार्य भार नहीं होगा।

**6. सामान्य नियम एवं शर्तें**

6.1 प्रस्ताव की स्वीकृति: बैंक द्वारा सफल फर्म/ कंपनी के अनुमोदन के बाद शीघ्र ही, यह फर्म/ कंपनी को अपना प्रस्ताव भेजेगा जिसमें पक्षों के मध्य हुए सभी करार समाविष्ट होंगे। प्रस्ताव प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर, सफल फर्म/ कंपनी प्रस्ताव की अनुलिपि पर दिनांक अंकित और हस्ताक्षर करेगी और इसे बैंक को सवीकृति के समर्थन के तौर पर वापस करेगी।

6.2 परियोजना टीम सदस्यों का प्रतिस्थापन: समनुदेशन/ नियत कार्य के दौरान, बैंक की सहमति के बिना कार्य हेतु पहचाने/ नियत किये गये महत्वपूर्ण स्टाफ के प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं होगी।

6.3 व्यावसायिकता: लेखा परीक्षा फर्म/कंपनी हमेशा व्यावसायिक, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष परामर्श देगी तथा बैंक के हितों को सर्वोच्च रखेगी तथा कार्य का निष्पादन करते समय उच्च् नीतिपरक मानदंडों का पालन करेगी।

6.4 डाटा/ सूचना की गोपनीयता: लेखा परीक्षा फर्म/ कंपनी बैंक द्वारा इसे दिये गये डाटा गोपनीय रखेगी तथा साझी सूचना/ डाटा को गोपनीय रखेगी।

6.5 पूछताछ: किसी भी परियोजना के निष्पादन हेतु बैंक के पास ग्राहकों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके लिये फर्म/ कंपनी ने अपनी सेवाएं दी हैं।

6.6 भुगतान की शर्तें: लेखा परीक्षा फर्म/ कंपनी का शुल्क का भुगतान संविदा में वर्णित किये जाने वाले कार्यों को पूरा करने पर लेखा परीक्षा फर्म/ कंपनी द्वारा दिये गये इनवॉयस प्राप्त करने के बाद तिमाही आधार पर किया जाएगा ।

6.7 प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: चयनित फर्म/ कंपनी उन प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम, संपर्क विवरण(पता, ईमेल, टेलिफोन, मोबाइल, फैक्स ) और पदनाम का उल्लेख करेगी जो प्रस्ताव के तहत उत्तरदायित्वों के संबंध में बैंक के साथ चर्चा और पत्रव्यवहार करेंगे।

6.8 कानून की अनुपयोज्यता और न्यायालय का क्षेत्राधिकार: चयनित फर्म/कंपनी से संविदा यथा समय लागू भारत के कानून के अनुरूप नियंत्रित की जाएगी और केवल दिल्ली में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

6.9 समनुदेशन: संविदा और संविदा के तहत दिये गये अधिकार पूरी तरह या आंशिक तौर पर लेखा परीक्षा फर्मों/ कंपनियों द्वारा बेचे, पट्टे पर, सुपूर्द अथवा किसी प्रकार से अंतरित नहीं किये जा सकते और बिक्री, पट्टे, अथवा अन्य प्रकार के अंतरण का कोई भी ऐसा प्रयास बैंक की पहले से लिखित सहमति के बिना प्रभावहीन और अमान्य होगा ।

6.10 उप संविदा देना: संविदा के अंतर्गत लेखा परीक्षा फर्म/ कंपनी से अपेक्षित किसी भी कार्य, सेवा अथवा अन्य निष्पादन के पालन के लिये लेखा परीक्षा फर्म/ कंपनी अपने कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति अथवा उप संविदा नहीं देगी।

**7. अस्वीकरण**

7.1 **अस्वीकरण:** बैंक में आंतरिक नियंत्रण को दृढ़ करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का क्रियान्वयन करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए यह ईओआई बनाया गया है। ईओआई दस्तावेज सेवाओं के संबंध में संविदा, करार अथवा अन्य व्यवस्था में प्रवेश करने के लिये किसी तरह की सिफारिश, प्रस्ताव अथवा आमंत्रण नहीं है।

7.2 **प्रतिवादियों वहन की गई लागत :** फर्म/ कंपनी द्वारा वहन सभी लागतें और व्यय जो विकास, तैयारी और प्रत्युत्तरों की प्रस्तुती में सम्मिलित हैं परंतु बैठकों, चर्चा और प्रदर्शन में सीमित नहीं हैं और बैंक को अपेक्षित अतिरिक्त सूचना को उपलब्ध करवाना पूर्णत रूप से और विशेष रूप से फर्म/कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

7.3 **कोई विधिक संबंध नहीं** : बैंक और फर्म/ कंपनी के बीच कोई विधिक संबंध नहीं होगा जब तक कि संविदात्मक करार का निष्पादन न हो जाए।

7.4 **अवसरों का मूल्यांकन** : प्रत्येक फर्म/कंपनी पावती दे और स्वीकार करे बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार में फर्म/कंपनी के चयन में जो कुछ अतिरिक्त मानदंड उपयुक्त समझता है, को लागू करने में उन चयन मानदंडों के लिए सीमित नहीं है जो इस ईओआई दस्तावेज में नियत हैं।

7.5 **अयोग्यता** : फर्म/कंपनी द्वारा किसी प्रकार के पक्षप्रचार/सिफारिश/प्रभाव आिद उस फर्म के लिए अयोग्यता का परिणाम बनेगा।

7.6 **सहायता संघ पर पाबंदी** : ईओआई दस्तावेज एकल फर्म/कंपनी द्वारा बनाए जाने चाहिए। सहायता संघ को अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.7 बैंक के पास संभावित फर्म/कंपनियों को मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार करने अथवा रद्द करने अथवा चयन करने के अधिकार सुरक्षित है और इसके मामले के संदर्भ में किसी तरह की सिफारिश नहीं मानी जाएगी। इस ईओआई के प्रत्युत्तर के आधार पर फर्म/कंपनियो को चयन किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो इन्हें उनके प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण करने के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा।

***